

# बिहार सरकार

## स्वास्थ्य विभाग

### अधिसूचना

संचिका सं० : 15/औ०-03-01/2025 -...../स्वा०, पटना, दिनांक-..... 2026

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या-588(15ए), दिनांक-30.06.2026 द्वारा राज्यांतर्गत पदस्थापित/कार्यरत औषधि निरीक्षकों का स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है, जिसमें पूर्णियाँ-03 में औषधि निरीक्षक का पद रिक्त रह गया है।

उक्त के आलोक में औषधि एवं अंगराग अधिनियम-1940 की धारा-21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ कार्यहित में श्री संजीव कुमार, औषधि निरीक्षक, पूर्णियाँ-05 को औषधि निरीक्षक, पूर्णियाँ-03 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०-03-01/2025.....711(15A)/स्वा०, पटना, दिनांक-20/07/2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि महालेखाकार (ले० एवं ह०) को बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप औषधि नियंत्रक, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ/सहायक औषधि नियंत्रक, पूर्णियाँ/श्री संजीव कुमार, औषधि निरीक्षक, पूर्णियाँ-05 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।  
985